

## स्वाधार गृह की स्थापना व संचालन के संबंध में अभिरुचि का प्रस्ताव आमंत्रण

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता वाले महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वाधार गृह क्षमता 30 महिलाओं की होगी संचालन के लिये पंजीकृत अशासकीय संस्थायें /स्वैच्छिक संगठन जो महिला कल्याण /समाज कल्याण /महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हो, वित्तीय रूप से सक्षम हो तथा देखरेख सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली महिलाओं के संस्था संचालन हेतु इच्छुक हो । दिनांक 25/06/2021 तक जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

स्वाधार गृह संस्था की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक संस्थायें कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग ) संयुक्त भवन कक्ष क्रमांक 09 में आवश्यक दस्तावेज एवं विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । स्वाधार गृह स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश /मापदण्ड एवं आवेदन का प्रारूप [www.kanker.gov.in](http://www.kanker.gov.in) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है ।

### “ नियम एवं शर्तें ”

- 1 महिला एवं बाल विकास /समाज कल्याण विभाग जो स्वाधार गृह का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें स्वयं चला सकते हैं या इस योजना के अन्तर्गत प्रचालन का प्रबंधन करने के लिए उतनी अवधि जितनी वह ठीक समझे के लिए अपेक्षित अनुभव वाले संगठनों को लीज(पट्टे) पर दे सकते हैं ।
- 2 महिला कल्याण/समाज कल्याण /महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के ट्रेक रिकार्ड वाले सिविल सोसायटी संगठन जैसे कि गैर सरकारी संगठन आदि किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ये संगठन भारतीय सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1860 या किसी संबंधित राज्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।
- 3 स्वैच्छिक संगठन वर्तमान योजना /कानून के अन्तर्गत राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या कम से कम 03 वर्षों के लिए क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और इनके कार्य को संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संतोषजनक पाया गया हो ।
- 4 स्वैच्छिक संगठन सामान्य रूप से योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए अनुरोध करने से पूर्व दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए महिला कल्याण/समाज कल्याण /महिला शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न होना चाहिए ।
- 5 इस योजना का प्रबंधन करने के लिये सुविधाएं संसाधन कार्मिक तथा अनुभव होना चाहिए ।
- 6 स्वैच्छिक संगठन की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए ताकि यह अनुदान प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में कुछ माह के लिए खर्च वहन कर सकें ।
- 7 स्वाधार गृह को गैर लाभ आधार पर चला रहा हो ।
- 8 स्वैच्छिक संगठन के पास स्वाधार गृह में कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन आदि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ।
- 9 पंजीयन प्रामाण पत्र बायलाज की सत्यप्रतियां ।
- 10 तीन वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट ।
- 11 स्वैच्छिक संगठन को अपने कार्यों के संबंध में प्रस्तुतीकरण देना होगा जिस हेतु सीडी एवं पेन ड्राइव में डिस्के कर दिखाना होगा ।
- 12 वित्तीय एवं तकनीकी बीड अलग-अलग लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा ।
- 13 स्वैच्छिक संगठन के द्वारा स्वाधार गृह संचालन हेतु संरचनात्मक अनुसार स्टाफ की नियुक्ति एवं संसाधन की जानकारी वर्तमान कार्यालयीन पता/ मो.न. स्पष्ट लेख किया जावे ।

स्वाधार गृह योजना

आवेदन फार्म

भाग (क) - संगठन

- 1.) संगठन के मुख्यालय का नाम और पूरा डाक पता  
जिला :  
राज्य :  
पिन कोड :
- 2.) एस.टी.डी कोड सहित दूरभाष संख्या :
- 3.) फैक्स संख्या :
- 4.) क्या गैर सरकारी संगठन के उप-नियम इसकी अनुमति देते हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं और प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं ?
- 5.) संगठन के उद्देश्य :
- 6.) संगठन का संक्षिप्त इतिहास : (एक पैराग्राफ में)
- 7.) क्या यह भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) टस्ट अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ? यदि हां, तो पंजीकरण की संख्या एवं तारीख दें ।
- 8.) क्या यह संगठन अखिल भारतीय संगठन है ? : यदि हां, तो दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या आदि के साथ राज्य शाखा, जिसका संचालन आश्रय गृह द्वारा किया जाएगा, सहित विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें ।
- 9.) क्या यह संगठन अपने स्वयं के भवन में स्थित है या किराए के भवन में स्थित है ?
- 10.) गत 3 वर्षों में संगठन की प्रमुख गतिविधियां : क्या रही हैं ?

गतिविधि का नाम	कवरेज		बच्चे	व्यय
	पुरुष	महिलाएं		

- 11.) गत तीन वर्षों में संगठन की वित्तीय स्थिति का सारांश :  
(रूपये लाखों में)

वर्ष	आय एवं व्यय लेखा	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	आधिक्य	कमी

*K*

12. गत तीन वर्षों में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा :  
(रुपये लाख में)

मंजूरी संख्या	आदेश	तारीख	राशि	योजना	निधियन एजेंसी का पता

13. गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी योगदान का ब्यौरा :

देश	संगठन	उद्देश्य	राशि

14. संगठन के पदधारियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम और पता	पुरुष / स्त्री	आयु	पद	योग्यता	पेशा	वार्षिक आय	आधार संख्या

15. संगठन के कर्मचारियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम और पता	पुरुष / स्त्री	आयु	अंशकालिक/पूर्णकालिक	योग्यता	पद	वार्षिक आय	आधार सं.

16. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम और पता	पुरुष/महिला	आयु	योग्यता	पेशा	मासिक आय	आधार संख्या

*K*